

मंत्रिमण्डल

## मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

Posted On: 19 JUL 2017 9:43PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत वसतु एवं सेवा कर (जम्मू-कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 के प्रवर्तन और एकीकृत वसतु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दी है।

इस अध्यादेश के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों (आईजीएसटी ऐक्ट के रूप में संदर्भित) को जम्मू-कश्मीर राज्य तक विस्तार दिया गया है।

यह अध्यादेश 8 जुलाई 2017 को जारी किया गया था और एकीकृत वसतु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।

\*\*\*

AKT/VBA/SH/SKC

(Release ID: 1496464) Visitor Counter: 37









in